

सं० सं० 14/एम 11-1/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०  
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.8.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शेष नाथ गोस्वामी पिता-स्व० शिवपुजन गोस्वामी ग्राम-माधोमठ पो०-बथुआ बाजार थाना-पीपरीया जिला-गोपालगंज	हृदय रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	ध्रुव कुमारी पति-सुशील कुमार पोद्दार ग्राम-पो०-देसरी थाना-विभुतीपुर जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	केशव कुमार सिंह पिता-रघुनाथ सिंह ग्राम-शास्त्रीनगर पो० बेतिया थाना-नगर जिला प० चम्पारण	हृदय रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	कृष्णा ठाकुर पिता-जई ठाकुर ग्राम-सीसई चकिया टोला पो०-सीसई थाना गोरैया कोठी जिला-सीवान	हृदय रोग	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
5	सुनैना देवी पति-यदुनन्द पटेल ग्राम-मिर्जापुर पो०-महनागन्नी थाना-मुफसिल जिला-प० चम्पारण	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

6	अजय शर्मा पिता-बृज नन्दन शर्मा ग्राम-सामोचक पो0-थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
7	सुशील कुमार सिंह पिता-सुरेन्द्र सिंह ग्राम+पो0+थाना-सिंघीया जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	बिरेन्द्र सिंह पिता-स्व0 दरोगा सिंह ग्राम-पो0+थाना-बिक्रमगंज जिला-रोहतास	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
9	अमेरिका सिंह पिता-स्व0 चुल्हाई सिंह ग्राम-शाहपुर पो0 दामोदरपुर थाना-नगर नौसा जिला-नालंदा	हृदय रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	गायत्री देवी पति-स्व0 शिवपुजन गिरि ग्राम-गोंछी पो0+थाना-केसरिया जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 11,45,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,45,000/- (ग्यारह लाख पैंतालीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 050572 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 16590200000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओबरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 050572 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

ज्ञापांक

1568 (14)

पटना, दिनांक

28.8.18

निदेशक प्रमुख

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ सभी संबंधित मरीजों को/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/8/18  
निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

हार्ट अस्पताल लिमिटेड (चन्द्रालय)

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.8.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शरीफन राय पिता-स्व० शिव शरण राय ग्राम-हथीयाकांध पो०-सराय थाना-शाहपुर जिला-पटना	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	शमी आलम पिता-मो० शमशुल ग्राम+पो०-अमौना थाना-जोगबनी जिला-अररिया	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	अफसरि परवीन पिता-मो० मुन्ना ग्राम-उतरी मलह बीगहा पो०-थाना-इस्लामपुर जिला-नालंदा	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,85,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,85,000/- (तीन लाख पचासी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 050577 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

( डा0 आर0 डी0 रंजन )

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...~~050577~~...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1569(14)

पटना, दिनांक 28.8.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई टी0. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
27/8/18  
निदेशक प्रमुख  
21/8/18

सं० सं० 14/एम 11-1/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक  
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०  
रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.8.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नीरज कुमार पिता-मदन साह ग्राम-पो०-खरतरी थाना चिरैया जिला-पूर्वी चम्पारण	कान रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	सत्यम कुमार पिता-विनेश शर्मा ग्राम-नेपुरा पो०+थाना-सिलाव जिला-नालंदा	हड्डी एवं नस रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	अंशु प्रिया पिता-सुनील कुमार ग्राम-लखमा बिगहा पो०-बिसाई बिगहा थाना-परवलपुर जिला-नालंदा	दुर्घटना	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	शंकर पासवान पिता-जगदीश पासवान ग्राम-चंडासी पो०-थाना-नुरसराय जिला नालंदा	दुर्घटना	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	समपतिया देवी पति-शिव नन्दन पासवान ग्राम-त्रिलोक बिगहा पो०-मई थाना-हिलसा जिला-नालंदा	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	पायल कुमारी पिता-कमला सिंह ग्राम-चैनपुर पो0 मितनचक थाना गोपालपुर जिला-पटना	हृदय रोग	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
7	संजीव कुमार केसरी पिता-स्व. दिप नारायण केसरी ग्राम-मिथला कालोनी नासरीगंज, पो0 बाटागंज थाना-दीघा जिला-पटना	हृदय रोग	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
8	विशुनदेव पटेल पिता-योगी राउत ग्राम-नायक टोला पो0+थाना-हरपुर जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
9	ओम प्रकाश कुमार पिता-श्यामलीस पाल ग्राम-चैनपुर पो0-सरफा थाना-वेना जिला-नालंदा	कुल्हा रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
10	उदय कुमार पिता-नारायण यादव ग्राम-पो0 जानकीडीह थाना-चानन जिला-लखीसराय	पेट रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
11	नन्हकी देवी पति-भिखरी दास ग्राम+पो0-लगुनीया सूर्याकंठ थाना+जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
12	बेबी कुमारी पति-मिथलेश प्रसाद ग्राम-सकरपुरा पो0-भोभी थाना-नगर नोसा जिला-नालंदा	किडनी रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
13	अनिता देवी पति-अनिल महतो ग्राम-पहाड़पुर पो0 खोदाई बाग थाना खैरा जिला-सारण	हृदय रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
14	जितेन्द्र ठाकुर पिता-विश्वनाथ ठाकुर ग्राम-हनुमान टोला धरहरा पो0-वलीगंज, थाना-टाउन जिला-भोजपुर, आरा	हृदय रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

15	यशोदा देवी पति-बाल किशुन पासवान ग्राम-मीराचक पो0-थाना-बिन्द जिला-नालंदा	हृदय रोग	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
16	मो0 एखलाख पिता-मो0 यासिम ग्राम-आधारपुर चक निजाम पो0-आधारपुर थाना+जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
17	राज कुमार राम पिता-नारो राम ग्राम-कुटौत पो0+थाना-बरबीघा जिला-शेखपुरा	किडनी रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	मीना देवी पति-शैलेश कुमार सिंह ग्राम-रसलपुर पो0-ओरीयावा थाना-एकगरसराय जिला-नालंदा	स्पाईनल सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 18,80,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 18,80,000/- (अठारह लाख अस्सी हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 1250574 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-  
( डा0 आर0 डी0 रंजन )  
निदेशक प्रमुख



ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं. ~~050577~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1574(14)

पटना, दिनांक 28.8.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख  
31.8.18

सं० सं०- 14/एम 11-1/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर,  
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.8.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	नन्द लाल यादव पिता-स्व० सुखदेव यादव ग्राम-भलुका पो०-मलयपुर थाना-बरहर जिला-जमुई	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	लालेश पासवान पिता-काशी पासवान ग्राम-अमेरा पो० भतहर थाना-थरथरी जिला-नालंदा	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,20,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 050573...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०एस० हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन )

निदेशक प्रमुख,

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...050573.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख


ज्ञापांक

1571(14)

पटना, दिनांक

28.8.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ सभी संबंधित मरीजों/ आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
आल इंडिया इंस्टीच्युट आ० मेडिकल साइंस,  
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.8.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० कैफ पिता-मो० नाजीम ग्राम-चैनपुरा ढाका पो०-थाना-ढाका जिला-पूर्वी चम्पारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
2	देव कुमारी देवी पति-शिवनाथ सिंह ग्राम-बजरूहा पो०+थाना-उवन्त नगर जिला-भोजपुर आरा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	नीरा देवी पति-अशोक राय ग्राम+पो०-लत्तीपुर थाना-विहपुर जिला-भागलपुर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	विजेन्द्र मंडल पिता-रामेश्वर मंडल ग्राम+पो०-बैसाढ थाना-कुमारखंड जिला मधेपुरा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	बसंती देवी पति-विरेन्द्र सिंह ग्राम-काशीपुरडीह पो०-विदुपुर थाना-राजापाकड़ जिला-वैशाली	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	गीता देवी पति-हरिश्चन्द्र पासवान ग्राम+पो0-अकहा विशनपुर थाना-उजियारपुर जिला-समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	तहरून निशा पति-मो0 हबीब ग्राम-पो0-बकटपुर थाना-कांटी जिला-मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	लड्डु महतो पिता-स्व0 लालमुन महतो ग्राम-राष्ट्रीयगंज पो0-थाना-फुलवारीशरीफ जिला पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	सुनीता देवी पति-उमेश सिंह ग्राम+पो0-फुलारी थाना-संदेश जिला-भोजपुर आरा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	प्रवीण कुमार श्रीवास्तव पिता-महादेव प्र0 श्रीवास्तव ग्राम-मनहरन लाल पो0-लालबाग थाना नगर जिला-दरभंगा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	रिया कुमारी पिता-मनोज कुमार ग्राम-गोला घाट साह टोली पो0+थाना-दानापुर जिला-पटना	सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
12	राजु कुमार पिता-किशुनदेव सिंह ग्राम-काजीचक पो0-बिदौली थाना-भगवानगंज जिला-पटना	हड्डी रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
13	जितेन्द्र कुमार पिता-राजेन्द्र प्र0 राय ग्राम-पहलेजा शाहपुर दियारा पो0+थाना-सोनपुर जिला सारण	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
14	संदीप कुमार पिता-पिंटु कुमार ग्राम-गजाधर चौक गोला रोड, पो0+थाना-दानापुर जिला-पटना	कोकलीयर इम्प्लांट	5,50,000	पांच लाख पचास हजार स्वीकृत।

15	कुसुमा देवी पति-सुरेन्द्र यादव ग्राम-कुडीला पो0-नया गांव थाना-गिधौर जिला-जमुई	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	सिंगासन राम पिता-स्व0 रामचन्द्र राम ग्राम-विष्णुपुरा पो0+थाना इमादपुर जिला-भोजपुर	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	मुन्ना कुमार पिता-मनरीका राम ग्राम-बलीहार पो0-दुल्लहपुर थाना-सिमरी जिला बक्सर	सर्जरी, जख्म	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत।
18	मीरा देवी पति-शिव नारायण सिंह ग्राम+पो0-बभनी थाना-गम्हरीया जिला-मधेपुरा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
19	सुकमा देवी पति-सीता राम पोद्दार ग्राम-परमानन्दपुर पो0 कोशी कालेज थाना-मुफसिल जिला-मुंगेर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	मंसुर आलम पिता-कमीरुद्दीन ग्राम-दामोदरपुर पो0-टेंगौर थाना-आजम नगर जिला-कटिहार	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	नन्द गोपाल सिंह पिता-स्व0 गुपुत राय ग्राम-पो0-बलिगांव थाना-आयर जिला-भोजपुर	हिप रिपलेस्मेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			₹ 21,05,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 21,05,000/- ( इक्कीस लाख पांच हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 050591 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **579310110002528** खाता धारक का नाम-'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

( डा0 आर0 डी0 रंजन )  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...050571.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1570(14)

पटना, दिनांक 28-8-18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ संबंधित मरीजों/आई0 टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/8/18  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक  
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,  
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकत समिति की दिनांक 21.8.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1.	रीना देवी पति-गुड्डु कुमार सिंह ग्राम+पो०-ताजपुर थाना+जिला-शिवहर सीआरनं०-170537/18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
2.	विकास कुमार पिता-स्व० जीया लाल राय ग्राम-चैनपुर चीउटाहा पो०-सरैया बाजार थाना-पारु जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं०-168351/18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
3.	दुर्बल शर्मा पिता-गरभु शमा ग्राम+पो०-सतर थाना-बिहरा, जिला-सहरसा सीआरनं०-150359/18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
4.	योग माया श्रीवास्तव पिता-परमानन्द प्र० श्रीवास्तव ग्राम-राजेन्द्र नगर पो०-मधुबनी, थाना-के० हाट जिला-पूर्णिया सीआरनं०-142402/18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
5.	मुल चन्द भाई राम पिता-स्व० शिव दयाल चौधरी ग्राम-पोखरा पो०-थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली सीआरनं०-170329/18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत



6.	श्रीराम शर्मा पिता-सोने लाल भगत ग्राम+पो0-रायपुर थाना-नानपुर जिला-सीतामढी सीआरनं0-050054 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
7.	उषा देवी पति-राज कुमार सिंह ग्राम-असदपुर सतपुरा पो0-सतपुरा थाना-भगवानपुर जिला वैशाली सीआरनं0-141724 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
8.	शशि भुषण सिंह पिता-स्व0 जय नाथ सिंह ग्राम-पो0 देवरीया थाना' अवतार नगर जिला-सारण पंजी /ओ0पीडी / 161817 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
9.	विजय कुमार चौधरी पिता-स्व0 योगेन्द्र चौधरी ग्राम+पो0-डीह बुचौली थाना-जन्दाहा जिला-वैशाली सीआरनं0-175579 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
10.	सीता देवी पति-राम अवतार यादव ग्राम-समैला पो0-बरगांव थाना-के0 स्थान जिला-दरभंगा सीआरनं0-130338 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
11.	चन्द्रकला देवी पति-दशरथ साह ग्राम-मकसुदपुर पो0-किशनपुर थाना-वारिसनगर जिला समस्तीपुर सीआरनं0-170964 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
12.	कमली देवी पति-राजनाथ यादव ग्राम-रामगढ़ पो0-थाना-ब्रहमपुर जिला-बक्सर सीआरनं0-127448 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत

13.	गीता देवी पति-शिव नन्दन साह ग्राम-इटहरा पो0-रामपुर थाना सौर बाजार जिला सहरसा सीआरनं0-163605 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
14.	निर्मला देवी पति-राम प्रसाद ठाकुर ग्राम+पो0-कोदरीया थाना-पताही जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरनं0-073627 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
15.	माया देवी पति-नरसिंह प्रसाद ग्राम-किशुनबाग पो0-बेतिया थाना-नगर जिला-प0 चम्पारण सीआरनं0-148796 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
16.	रामनाथ सहनी पिता-स्व0 योगेन्द्र सहनी ग्राम-चकलाढो पो0-बेदौलीया थाना-जन्दाहा जिला-वैशाली सीआरनं0-176256 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
17.	जागेश्वर पंडित पिता-जगदीप पंडित ग्राम-केवटा टोले लोदीपुर पो0-केवटा थाना-दलसिंह सराय जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-150923 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
18	महेन्द्र राय पिता-रामफल राय ग्राम-पो0-करख थाना-विभुतीपुर जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-115937 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
19	लखीया देवी पति-सुरेश साव ग्राम-पो0-कठौतीया थाना गुरुआ जिला गया सीआरनं0-107109 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत

20	मुस्लिम पिता-जर्बन मियां ग्राम-पो0-उन्हचक थाना-दिघवारा जिला सारण सीआरनं0-169750 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
21	प्रियंका देवी पति-आलोक प्रसाद ग्राम-धुम नगर कचहरी टोला पो0-धुमनगर थाना नौतन जिला-प0 चम्पारण सीआरनं0-139337 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
22	मो0 जहांगीर आलम पिता-मो0 युनुस ग्राम-महसेल पो0-मीरपुर थाना-रौटा जिला-पूर्णिया सीआरनं0-118589 / 18	किडनी रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
23	चन्दन महलदार पिता-स्व0 मोती महलदार ग्राम-रामसभा गौशाला पो0-जुट मिल्स थाना-नगर जिला-कटिहार सीआरनं0-081802 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
24	रेणु मिश्रा पति-अखिलेश कुमार मिश्रा ग्राम-गौरा पो0-मोड़वारा 02 थाना-बिरौल जिला-दरभंगा सीआरनं0-146943 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
25	अखिलेश कुमार पिता-जगदीश राय ग्राम-कामोपुर पो0-हासोपुर थाना-खानपुर जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-076557 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
26	जहीर हुसैन पिता-अहमद हुसैन ग्राम-पो0-शिवानन्दपुर थाना-आबादपुर जिला-कटिहार सीआरनं0-157984 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत

27	अशोक दास पिता-भोला दास ग्राम-बिथुनपुर पो0-बांसघाट थाना चकिया जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरनं0-256058 / 17	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
28	बिरेन्द्र रावत पिता-शिव बालक रावत ग्राम-पिठौरा तख्त पो0-पैगम्बरपुर थाना-बनियापुर जिला-सारण सीआरनं0-160368 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
29	रोहित राय पिता-सोमन राय ग्राम-कंजारा पो0-सोनसा थाना-सिधीया जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-111472 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
30	चन्द्रावती कुंवर पति-राधे श्याम मिश्रा ग्राम-पो0-रोआरी थाना-शिकारपुर जिला-प0 चम्पारण सीआरनं0-127176 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
31	शशि शेखर प्रसाद सिंह पति-त्रिभुवन प्रसाद सिंह ग्राम-सी0 101 भवानी सिटी अपार्टमेंट, पो0-दानापुर कैट थाना-रूपसपुर जिला-पटना सीआरनं0-110757 / 17	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
32	रामचन्द्र राय पिता-रामेश्वर राय ग्राम-कुरहा टोली पो0-दानापुर कैट थाना-शाहपुर जिला-पटना सीआरनं0-071098 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
33	बिरो देवी पति-हरीजी पासवान ग्राम-राजवाड़ा पो0+थाना-बरौनी जिला-बेगुसराय सीआरनं0-110367 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत

34	शीला देवी पति-सुरेन्द्र महतो ग्राम+पो0-रामपुर थाना-बखरी जिला-बेगुसराय सीआरनं0-168584 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
35	कन्हैया महतो पिता-राम उदय महतो ग्राम-समसपुरा पो0-थाना-भेल्दी जिला-सारण सीआरनं0-202415 / 17	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
36	रामवती देवी पति-स्व0 सहदेव सिंह ग्राम-खरका तेलवा पो0+थाना-नवहट्टा जिला सहरसा सीआरनं0-166733 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
37	महबुब आलम पिता-मो0 हुसैन ग्राम-कसबा टोली पो0 गाजन थाना-बारसोई जिला-कटिहार सीआरनं0-123504 / 18	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत
38	शैल देवी पति-सीता राम भगत ग्राम-जारंगडीह पो0-जारंग डेवढी थाना-गायघाट जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-176253 / 17	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत
39	अर्चना देवी पति-जितेन्द्र रजक ग्राम-गायघाट दक्षिण गली पो0-गुलजारबाग थाना-आलमगंज जिला पटना सीआरनं0-150180 / 18	किडनी रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत
40	पप्पु कुमार यादव पिता-दुखा यादव ग्राम बथई पो-बहुअरवा थाना-मनीगाछी जिला-दरभंगा सीआरनं0-202423 / 17	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत । विशेष परिस्थिति में।

41	सुरुची कुमारी पिता-हरि शंकर राय ग्राम-पैठानी नत्थुपुर पो0-अनिसाबाद थाना-बेउर जिला-पटना पंजी/ओपीडी/079313/18	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
42	मो0 सोहेल पिता-मो0 कलाम ग्राम-बहीलवारा खोरमपुर पो0-बहीलवारा रूपनाथ थाना-सरैया जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-162144/18	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
43	बेबी देवी पति-मनीष कुमार ग्राम-गोखुलचक मिल्कीपर पो0-कपसीयावा थाना-हिलसा जिला-नालंदा सीआरनं0-159865/18	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
44	विद्या नन्द कुमार पिता-जमुना पंडित ग्राम-बलवा पो0-पीपर खुर्द थाना+जिला-सुपौल सीआरनं0-167131/18	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
45	विद्या नन्द सिंह पिता-स्व0 मोख्तार सिंह ग्राम नरहट पो0-सुरबाला थाना-जी0बी0 नगर जिला-सीवान सीआरनं0-222048/17	हृदय रोग	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
46	रेखा कुमारी पिता-नन्द जी गुप्ता ग्राम राजापुर चुवा राय के डेरा, पो0-राजापुर थाना सिमरी, जिला बक्सर सीआरनं0-148823/18	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
47	अखिलेश राय पिता-गणेश राय ग्राम-सेंगर टोला पो0+थाना-रिविलगंज जिला सारण सीआरनं0-016457/18	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।

48	राजेश कुमार पिता-ईशो यादव ग्राम-पो0-बन्देहरा थाना-पसराहा जिला खगड़िया पंजी/ओ0पीडी/169689/17	कैसर रोग	1,00,000	एक ल स्वीकृत ।
49	कुसुम देवी पति-सिधेश्वर राम ग्राम-शंकरडीह पो0-सारा, थाना तरारी जिला-भोजपुर सीआरनं0-094413/18	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत ।
50	शुभम कुमार पिता-मुन्ना कुमार साह ग्राम-देवकुली पो0-श्यामपुर थाना-महम्मदपुर जिला-गोपालगंज सीआरनं0-118814/18	कोकलीयर इम्पलांट	4,50,000	चार लाख पचास हजार स्वीकृत ।
51	नुतन कुमारी पति-असीम कुमार सिन्हा ग्राम-हथसारगंज पोस्ट+थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली सीआरनं0-099273/18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
52	सुरेश प्रसाद सिंह पिता-सिंघलदीप सिंह ग्राम+पो0 फतहपुर थाना+जिला-शिवहर सीआरनं0-163463/18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
53	सीता देवी पति-जगदीश मंडल ग्राम-लाल पो0 हेमकुंज थाना अमदाबाद जिला-कटिहार सीआरनं0-172375/18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
54	मीना देवी पति सुरेन्द्र महतो ग्राम+पो0-शुभंकरपुर थाना-कांटी जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-175165/18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
55	भोला राउत पिता-छट्टु राउत ग्राम+पो0-हुसैनी थाना-डुमरीया घाट जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरनं0-049331/18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत

56	अनिता देवी पति-सुधीर प्रसाद ग्राम-बीरुपुर पो0-थाना-घोषी जिला-जहानाबाद सीआरनं0-121909/18	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत
57	मो0 रफीक पिता-शेख बजरु ग्राम-कलबारी पो0-थाना-आजमनगर जिला-कटिहार सीआरनं0-152428/18	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत
58	धर्मशीला देवी पति-स्व0 त्रियुगी सिंह ग्राम-बेला पो0-बेला तराढी थाना-नोबतपुर जिला पटना सीआरनं0-080487/18	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत
59	राजेन्द्र यादव पिता-जागेश्वर यादव ग्राम-गौरीपुर पो0+थाना-सिहेश्वर जिला मधेपुरा सीआरनं0-073348/18	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत । विशेष परिस्थिति में।
60	गांगो सहनी पिता-माखन सहनी ग्राम-पो0-मेघौल थाना-खोदावान्दपुर जिला-बेगुसराय सीआरनं0-176769/18	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत ।
61	चन्द्रावती देवी पति-वासुदेव साह ग्राम-मधुबनी वार्ड -18 पो0+थाना+जिला-मधुबनी सीआरनं0-086062/18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
			कुल ₹ 53,05,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 53,05,000/- ( तीरपन लाख पांच हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 050570 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना 800014 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।



3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।
6. आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।  
मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0. 050570.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

1580(14)

पटना, दिनांक

28-8-18

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
27/8/18  
21.8.18